धारा 30 : रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण

(1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से रद्द किया जाता है, [1][ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाए, ऐसे अधिकारी को] रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा। [2][.....]

(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन को तब तक खारिज नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

[3][**परंतु यह और** कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं।]

(3) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा।

उपयुक्त नियमः नियम 23

---

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था : ''रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति में''।

2 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा परंतुक विलोपित। वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''[A][**परंतु** ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणें से,–

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए ; और

(ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढाई जा सकेगी।]''

A पहले यह परंतुक केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का पांचवा निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 5/2019–केन्द्रीय कर] दिनांक 23.04.2019 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''[A][**परन्तु** यह कि वह व्यक्ति जिसे धारा 169 की उप–धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप–धारा (2) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और जो उक्त नोटिस का उत्तर नहीं दे सका है, जिसका परिणाम उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का रद्दकरण है, और इसलिए वह तारीख 31.03.2019 तक पारित ऐसे आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने में असमर्थ है, उसे 22.07.2019 तक रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।]''

केन्द्रीय माल और सेवा का (कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2020 [आदेश सं. 1/2020–केन्द्रीय कर] दिनांक 25.06.2020 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया हैः

कठिनाईयों को दूर करने हेतु, यह इसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए तीस दिन की अवधि की गणना हेतु, वे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्हें धारा 169 की उप–धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप–धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और 12.06.2020 तक रद्दकरण आदेश पारित हुआ है, के लिए निम्नलिखित तिथियों में से उत्तरवर्ती तिथि को माना जाएगा :

(क) उक्त आदेश के संचार की तारीख; या

(ख) अगस्त का 31वाँ दिन, 2020

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा दूसरा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी आरईजी–05, जीएसटी आरईजी–21, जीएसटी आरईजी–22, जीएसटी आरईजी–23 एवं जीएसटी आरईजी–24